



अनुसंधान प्रश्न

“भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के तहत लोन गारंटर की कानूनी जिम्मेदारी क्या है, क्या बैंक कर्जदार से पहले गारंटर पर कार्रवाई कर सकता है, और भुगतान के बाद गारंटर के अधिकारों पर अदालतों ने क्या कहा है?”

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के तहत लोन गारंटर की कानूनी देयता, लेनदार के सीधे कार्रवाई करने के अधिकार और भुगतान के पश्चात गारंटर के प्रत्यासन (Subrogation) के अधिकार का विश्लेषण

सारांश

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 128 के तहत, लोन गारंटर (प्रतिभू) की कानूनी जिम्मेदारी मुख्य कर्जदार के साथ सह-विस्तृत (co-extensive) होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने *BRS Ventures Investments Ltd. v. SREI Infrastructure Finance Ltd.* (2024) और *Ram Kishun v. State of U.P.* (2012) में स्थापित किया है कि बैंक या लेनदार मुख्य कर्जदार के खिलाफ कानूनी उपायों को समाप्त किए बिना सीधे गारंटर के खिलाफ कार्यवाही करने और उससे बकाया राशि वसूलने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि, देयता का भुगतान करने के बाद, धारा 140 के तहत गारंटर को प्रत्यासन (subrogation) का अधिकार प्राप्त होता है, जिससे वह लेनदार के स्थान पर आकर मुख्य कर्जदार से वसूली कर सकता है।

सत्यापित मुकदमे	संविधियाँ	नवीनतम निर्णय
25	5	2024
17 उच्च न्यायालय • 8 सर्वोच्च न्यायालय		Supreme Court of India

विषय-सूची

I. विस्तृत विश्लेषण	2
II. सांविधिक प्रावधान	4
III. चर्चित मुकदमे	6
IV. मुकदमे का विवरण	8

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्घरण सत्यापित करें

I. विस्तृत विश्लेषण

मुख्य सिद्धांत

01 सह-विस्तृत देयता (Co-extensive Liability) का सिद्धांत

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 128 के अनुसार, गारंटर का दायित्व मुख्य कर्जदार के दायित्व के बराबर और उसके साथ सह-विस्तृत होता है, जिससे लेनदार दोनों के विरुद्ध एक साथ या किसी एक के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से कार्यवाही कर सकता है, *Bank of India v. Suneel Kumar Dubey* (2017)।

02 पहले गारंटर पर सीधे कार्रवाई करने का लेनदार का अधिकार

बैंक या लेनदार को यह छूट है कि वह मुख्य ऋणी के खिलाफ कानूनी उपचारों को समाप्त किए बिना सीधे गारंटर की संपत्ति कुर्क कर सकता है या उसकी प्रतिभूति से ऋण का समायोजन कर सकता है, *Anand People Co-operative Bank Limited v. State of Gujarat* (2013)।

03 प्रत्यासन (Subrogation) का अधिकार

धारा 140 के अनुसार, संपूर्ण गारंटीकृत राशि का भुगतान करने के बाद, कानून गारंटर को वे सभी अधिकार स्वतः सौंप देता है जो लेनदार के पास मुख्य कर्जदार के खिलाफ थे, *Muhammed Musthafa Padinhakkara v. Banking Ombudsman* (2022)।

04 लेनदार की लापरवाही से प्रतिभूति खोने पर गारंटर की विमुक्ति

धारा 141 के अनुसार, यदि लेनदार गारंटर की सहमति के बिना मुख्य कर्जदार की किसी प्रतिभूति को खो देता है या उसे सौंप देता है, तो गारंटर उस प्रतिभूति के मूल्य की सीमा तक अपनी देनदारी से मुक्त हो जाता है, *Amrit Lal Goverdhan Lalan v. State Bank of Travancore* (1968)।

05 निरंतर गारंटी (Continuing Guarantee) की सीमाएं

यदि संविदा के तहत गारंटर ने निरंतर गारंटी देना स्वीकार किया है, तो वह एकतरफा नोटिस भेजकर पूर्वगामी दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसने संविदा के तहत मिलने वाले अधिकारों को स्वेच्छा से त्याग (waive) दिया है, *Sita Ram Gupta v. Punjab National Bank and Ors.* (2008)।

न्यायालयों ने इसे कैसे लागू किया

**सर्वोच्च न्यायालय का
दृष्टिकोण**

सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि मुख्य कर्जदार की देनदारी कानून के संचालन (जैसे दिवाला समाधान या राष्ट्रीयकरण) से समाप्त होने पर भी गारंटर का 'सख्त दायित्व' (strict liability) समाप्त नहीं होता है, *Industrial Finance Corporation of India Ltd. v. The Cannanore Spinning and Weaving Mills Ltd.* (2002)। इसके अतिरिक्त, प्रतिभू को यह अधिकार नहीं है कि वह डिक्री निष्पादन के समय बैंक को पहले कर्जदार की संपत्ति नीलाम करने के लिए निर्देशित करे, *Amar Nath Dhiman v. Punjab & Sind Bank* (2017)।

**उच्च न्यायालय की
भिन्नताएँ**

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अनुसार, यदि डिक्री संयुक्त और पृथक (joint and several) है, तो निष्पादन न्यायालय गारंटर्स के बीच देनदारी का आंशिक विभाजन (जैसे 1/4 हिस्सा) करके उन्हें शेष दायित्व से मुक्त नहीं कर सकता; प्रत्येक गारंटर पूरी डिक्री राशि के लिए उत्तरदायी है, *Not Provided v. Not Provided* (2023)।

अनिर्णीत क्षेत्र या चेतावनियाँ**न्यायालयी बॉन्ड पर धारा 135 का अनुप्रयोग**

यद्यपि संविदा अधिनियम की धारा 135 (लेनदार द्वारा ऋणी को सहमति के बिना समय विस्तार देना) सीधे तौर पर न्यायालय के पक्ष में दिए गए प्रतिभू बॉन्ड (court bonds) पर लागू नहीं होती, फिर भी इसके पीछे निहित न्यायसंगत सिद्धांत (equitable principles) वहाँ भी लागू होते हैं, *Raja Bahadur Dhanraj Girji v. Raja P. Parthasarathy Rayanimvaru* (1962)।

II. सांविधिक प्रावधान 5 प्रावधान

SECTION 140, INDIAN CONTRACT ACT, 1872 — RIGHTS OF SURETY ON PAYMENT OR PERFORMANCE

This section provides that when a surety pays off the debt or performs the duty upon the default of the principal debtor, they are invested with all the rights that the creditor originally held against the principal debtor.

"Where a guaranteed debt has become due, or default of the principal debtor to perform a guaranteed duty has taken place, the surety upon payment or performance of all that he is liable for, is invested with all the rights which the creditor had against the principal debtor." उद्धृत: Amrit Lal Goverdhan Lalan v. State Bank of Travancore, BRS Ventures Investments Ltd. v. SREI Infrastructure Finance Ltd., Bank of India v. Suneel Kumar Dubey

SECTION 128, INDIAN CONTRACT ACT, 1872 — SURETY'S LIABILITY

This section states that a surety's liability is equal to and co-extensive with that of the principal debtor, unless specified otherwise in the contract, allowing creditors to pursue the surety directly.

"The liability of the surety is co-extensive with that of the principal debtor, unless it is otherwise provided by the contract." उद्धृत: Not Provided v. Not Provided, Ghanshyam Pd. Srivastawa v. The State of Bihar, Ram Kishun v. State of U.P., BRS Ventures Investments Ltd. v. SREI Infrastructure Finance Ltd., Anand People Co-operative Bank Limited v. State of Gujarat, Judgment Debtor No. 5 v. Decree Holder, Union of India v. Bhagwati Cottons Ltd., Semalaiappan v. The Chief Manager & Authorised Officer, Andhra Bank, H.P. State Cooperative Bank Ltd. v. Ram Gopal Sharma, Amar Nath Dhiman v. Punjab & Sind Bank, Sunder Singh v. The H.P. State Cooperative Bank Ltd., Tom Thomas v. State Bank of India, Paramjit Singh Ahuja v. Punjab State Industrial Development Corporation Limited

SECTION 126, INDIAN CONTRACT ACT, 1872 — CONTRACT OF GUARANTEE, SURETY, PRINCIPAL DEBTOR AND CREDITOR

This section defines a contract of guarantee as a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of default, and defines the terms surety, principal debtor, and creditor.

"A \"contract of guarantee\" is a contract to perform the promise, or discharge the liability, of a third person in case of his default. The person who gives the guarantee is called the \"surety\"; the person in respect of whose default the guarantee is given is called the \"principal debtor\", and the person to whom the guarantee is given is called the \"creditor\". A guarantee may be either oral or written." उद्धृत: Raja Bahadur Dhanraj Girji v. Raja P. Parthasarathy Rayanimvaru, Paramjit Singh Ahuja v. Punjab State Industrial Development Corporation Limited

SECTION 145, INDIAN CONTRACT ACT, 1872 — IMPLIED PROMISE TO INDEMNIFY SURETY

This section establishes that every contract of guarantee contains an implied promise by the principal debtor to indemnify the surety for any sum rightfully paid under the guarantee.

"In every contract of guarantee there is an implied promise by the principal debtor to indemnify the surety, and the surety is entitled to recover from the principal debtor whatever sum he has rightfully paid under the guarantee, but, no sums which he has paid wrongfully." उद्धृत: Bank of India v. Suneel Kumar Dubey

SECTION 132, INDIAN CONTRACT ACT, 1872 — LIABILITY OF TWO PERSONS, PRIMARILY LIABLE, NOT AFFECTED BY ARRANGEMENT BETWEEN THEM THAT ONE SHALL BE SURETY ON OTHERS DEFAULT

This section provides that when two persons contract with a third party to undertake a liability, any private arrangement between them making one a surety on the other's default does not affect their liability to the third party.

"Where two persons contract with a third person to undertake a certain liability, and also contract with each other that one of them shall be liable only on the default of the other, the third person not being a party to such contract, the liability of each of such two persons to the third person under the first contract is not affected by the existence of the second contract, although such third person may have been aware of its existence." उद्धृत: research प्रश्न में उठाया गया

III. चर्चित मुकदमे

25 मुकदमे • सारणी

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
01	<i>Bank of India v. Suneel Kumar Dubey</i> MPHC010117381998	HIGH COURT OF MADHYA PRADESH	2017	गारंटर की देनदारी मुख्य कर्जदार के साथ बनी रहती है और सीधे वसूली संभव है।
02	<i>Muhammed Musthafa Padinhakkara v. Banking Ombudsman</i> KLHC010384252022	HIGH COURT OF KERALA	2022	गारंटर भुगतान के बाद मुख्य कर्जदार के खिलाफ सभी प्रतिभूतियों को प्राप्त कर सकता है।
03	<i>Anand People Co-operative Bank Limited v. State of Gujarat</i> GJHC240079062013	HIGH COURT OF GUJARAT	2013	बैंक को पहले मूल उधारकर्ता की संपत्ति बेचने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
04	<i>Amar Nath Dhiman v. Punjab & Sind Bank</i> HPHC010151262017	HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH	2017	गारंटर का दायित्व तत्काल है और मुख्य ऋणी के विरुद्ध कार्रवाई तक स्थगित नहीं होता।
05	<i>Judgment Debtor No. 5 v. Decree Holder</i> HBHC010183362017	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2017	डिक्री धारक सीधे गारंटर से वसूली कर सकता है, पहले ऋणी की आवश्यकता नहीं।
06	<i>H.P. State Cooperative Bank Ltd. v. Ram Gopal Sharma</i> HPHC010036082006	HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH	2011	बैंक की केवल सहनशीलता या वसूली न करना गारंटर को दायित्व से मुक्त नहीं करता।
07	<i>BRS Ventures Investments Ltd. v. SREI Infrastructure Finance Ltd.</i> ESCR010005472024	SUPREME COURT OF INDIA	2024	सह-विस्तृत देनदारी के कारण गारंटर द्वारा आंशिक भुगतान से कर्जदार मुक्त नहीं होता।
08	<i>Semalaiappan v. The Chief Manager & Authorised Officer, Andhra Bank</i> HCMA011313812019	MADRAS HIGH COURT	2020	बैंक का विशेषाधिकार है कि वह पहले गारंटर की संपत्ति से वसूली करे।
09	<i>Union of India v. Bhagwati Cottons Ltd.</i> HCBM020022601999	BOMBAY HIGH COURT	2008	अनुबंध की शर्तों के अनुसार गारंटर का दायित्व सीमित अवधि के लिए हो सकता है।
10	<i>Ghanshyam Pd. Srivastawa v. The State of Bihar</i> BRHC010273942011	PATNA HIGH COURT	2012	बैंक सीधे गारंटर की एलआईसी पॉलिसी से बकाया कर्ज समायोजित कर सकता है।
11	<i>Sita Ram Gupta v. Punjab National Bank and Ors.</i> ESCR010010862008	SUPREME COURT OF INDIA	2008	अनुबंध में स्वेच्छा से छूट देने पर निरंतर गारंटी को एकतरफा रद्द नहीं कर सकते।
12	<i>Paramjit Singh Ahuja v. Punjab State Industrial Development Corporation Limited</i> PHHC010053982003	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2006	मूल ऋणी और प्रतिभू की देनदारियां अलग-अलग और स्वतंत्र कानूनी दायित्व हैं।
13	<i>Prashant Shashi Ruia v. State Bank of India</i> GJHC240426782019	HIGH COURT OF GUJARAT	2021	कॉर्पोरेट दिवाला समाधान योजना की मंजूरी व्यक्तिगत गारंटर की देनदारी समाप्त नहीं करती।

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
14	<i>State Bank of India v. Mula Sahakari Sakhar Karkhana Ltd.</i> ESCR010004762006	SUPREME COURT OF INDIA	2006	लिखित संविदा की शर्तों के आधार पर ही गारंटी देयता तय होती है।
15	<i>D. Dhanushkoti v. Sundaram Finance Ltd.</i> HCMA010957252007	MADRAS HIGH COURT	2010	सुरक्षा का ह्रास होने पर विमुक्ति केवल लेनदार की लापरवाही के कारण ही संभव है।
16	<i>Amrit Lal Goverdhan Lalan v. State Bank of Travancore</i> ESCR010002481968	SUPREME COURT OF INDIA	1968	लेनदार की लापरवाही से सुरक्षा खो जाने पर गारंटर उस सीमा तक मुक्त होता है।
17	<i>M/s. SSA Constructions v. Andhra Bank</i> KAHC010035302015	HIGH COURT OF KARNATAKA	2024	एक सह-प्रतिभू को मुक्त करने से अन्य सह-प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त नहीं होते।
18	<i>Not Provided v. Not Provided</i> APHC010285592016	HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH	2023	संयुक्त डिक्री होने पर गारंटर को केवल आंशिक हिस्से के लिए उत्तरदायी नहीं मान सकते।
19	<i>Sunder Singh v. The H.P. State Cooperative Bank Ltd.</i> HPHC010174842021	HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH	2021	बैंक गारंटर से सीधे वसूली के लिए स्वतंत्र है, पहले ऋणी आवश्यक नहीं।
20	<i>Ram Kishun v. State of U.P.</i> ESCR010003882012	SUPREME COURT OF INDIA	2012	गारंटर की संपत्ति की नीलामी में निष्पक्ष रिजर्व मूल्य का निर्धारण आवश्यक है।
21	<i>M. S. Anirudhan v. The Thomco's Bank Ltd.</i> ESCR010001841963	SUPREME COURT OF INDIA	1962	गारंटर के लाभ के लिए किए गए महत्वहीन बदलावों से गारंटी समाप्त नहीं होती।
22	<i>Industrial Finance Corporation of India Ltd. v. The Cannanore Spinning and Weaving Mills Ltd.</i> ESCR010000992002	SUPREME COURT OF INDIA	2002	ऋणी के राष्ट्रीयकरण होने पर भी गारंटर का सख्त दायित्व समाप्त नहीं होता।
23	<i>K.S. Sivaprasad v. Assistant Registrar of Co-operative Societies</i> KLHC010397112015	HIGH COURT OF KERALA	2015	गारंटर भुगतान के बाद धारा 140 के तहत प्रत्यासन का अधिकार रखता है।
24	<i>Tom Thomas v. State Bank of India</i> KLHC010457972016	HIGH COURT OF KERALA	2016	बैंक को डिक्री निष्पादन के लिए पहले ऋणी के पास जाने को बाध्य नहीं कर सकते।
25	<i>Raja Bahadur Dhanraj Girji v. Raja P. Parthasarathy Rayanimvaru</i> ESCR010001431963	SUPREME COURT OF INDIA	1962	गारंटर की सहमति के बिना ऋणी को समय विस्तार देने से गारंटर मुक्त होता है।

IV. मुकदमे का विवरण 25 केस फ़ाइलें

01 Bank of India v. Suneel Kumar Dubey

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH • 2017-05-29 • FA/522/1998

यह मामला बैंक द्वारा ऋण वसूली के लिए दायर किए गए दीवानी मुकदमे से संबंधित है। बैंक ने मुख्य ऋणी और गारंटर्स (guarantors) के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, लेकिन निचली अदालत ने यह मानते हुए गारंटर्स को दायित्व से मुक्त कर दिया कि बैंक ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को गलत माना और स्पष्ट किया कि Indian Contract Act की धारा 139 के तहत गारंटर्स को तभी मुक्त किया जा सकता है जब बैंक ने उनके अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य किया हो या अपने कर्तव्य का पालन न किया हो, जिससे गारंटर्स का ऋणी के खिलाफ उपचार बाधित हुआ हो। न्यायालय ने माना कि गारंटर्स का दायित्व मुख्य ऋणी के साथ बना रहता है और बैंक उनसे भी बकाया राशि वसूलने का हकदार है।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि जब तक संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक बैंक का प्रतिभूतियों को रोकने का अधिकार गारंटर के दावे पर हावी रहेगा। गारंटर की देयता को मुख्य ऋणी के खिलाफ कानूनी उपाय समाप्त होने तक स्थगित नहीं किया जा सकता है।

“The creditor's right to hold his securities until his whole debt is paid is paramount to surety's claim upon such securities, which only arises when the creditor's claim against such securities has been satisfied. The liability of surety is not deferred until remedies against principal debtor are exhausted.”

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH • 2017

स्रोत MPHC010117381998

02 Muhammed Musthafa Padinhakkara v. Banking Ombudsman

HIGH COURT OF KERALA • 2022-09-15 • WP(C)/18761/2022

यह मामला एक ऋण गारंटी और सह-दायित्व (co-obligation) से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने दो व्यावसायिक उद्यमों, M/s. Scot Free Steels Limited और M/s. Premier Alloys के लिए बैंक के पास बंधक संपत्तियों के विरुद्ध अपनी देनदारियों का निपटान करने की पेशकश की। न्यायालय ने Indian Contract Act, 1872 की Sections 140 और 141 का हवाला देते हुए माना कि याचिकाकर्ता को भुगतान के बाद subrogation का अधिकार प्राप्त है। न्यायालय ने पक्षकारों के बीच हुए समझौते को रिकॉर्ड किया, जिसके तहत बैंक संपत्तियों के title deeds को छह महीने तक सुरक्षित रखेगा ताकि याचिकाकर्ता अपने कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए कार्यवाही कर सके।

निर्णय केरल उच्च न्यायालय ने संविदा अधिनियम की धाराओं का हवाला देते हुए माना कि गारंटर को भुगतान करने के बाद ऋणदाता द्वारा रखी गई सभी प्रतिभूतियों और कर्जदार के खिलाफ कार्यवाही करने के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं।

“Sections 140 and 141 of the Indian Contract Act, 1872 read as under: “140. Rights of surety on payment or performance.—Where a guaranteed debt has become due, or default of the principal debtor to perform a guaranteed duty has taken place, the surety upon payment or performance of all that he is liable for, is invested with all the rights which the creditor had against the principal debtor.”

HIGH COURT OF KERALA • 2022

स्रोत KLHC010384252022

03 Anand People Co-operative Bank Limited v. State of Gujarat

HIGH COURT OF GUJARAT • 2013-10-14 • SCA/3241/2013

यह मामला एक सहकारी बैंक (Petitioner) द्वारा दायर की गई याचिकाओं से संबंधित है, जो guarantors की संपत्ति की कुर्की के खिलाफ दिए गए Revisional Authority के आदेश को चुनौती दे रहा था। Revisional Authority ने बैंक को निर्देश दिया था कि वह पहले मूल उधारकर्ताओं (borrowers) की संपत्ति बेचे और बकाया राशि वसूलने के बाद ही guarantors के खिलाफ कार्यवाही करे। न्यायालय ने माना कि Section 128 of the Indian Contract Act के तहत, एक guarantor की देयता (liability) उधारकर्ता के साथ co-extensive होती है। न्यायालय ने स्थापित कानूनी सिद्धांतों का हवाला देते हुए निर्णय दिया कि बैंक अपनी पसंद के तरीके से वसूली कर सकता है और उस पर पहले उधारकर्ता के खिलाफ कार्यवाही करने की बाधता नहीं है। अतः, न्यायालय ने Revisional Authority के आदेश को रद्द कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लेनदार को सीधे गारंटर के खिलाफ कार्यवाही करने से पहले मुख्य देनदार से भुगतान की मांग करने या उस पर मुकदमा चलाने की कोई बाधता नहीं है, जब तक कि अनुबंध में ऐसी कोई विशेष शर्त न हो।

“It is the right of the decree holder to proceed with it in a way he likes. Section 128 of the Indian Contract Act itself provides that “the liability of the surety is co-extensive with that of the principal debtor, unless it is otherwise provided by the contract”.”

HIGH COURT OF GUJARAT • 2013

स्रोत GJHC240079062013

04 Amar Nath Dhiman v. Punjab & Sind Bank

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2017-12-18 • CR/152/2017

यह मामला एक ऋण गारंटी से संबंधित है। याचिकाकर्ता, जो ऋण का गारंटर था, ने बैंक द्वारा दायर निष्पादन याचिका (Execution Petition) में आपत्ति जताई थी कि बैंक को मुख्य ऋणी (principal debtor) के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि Section 128 of the Indian Contract Act के तहत गारंटर की देयता (liability) मुख्य ऋणी के साथ सह-विस्तृत (co-extensive) होती है। न्यायालय ने स्थापित कानूनी सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि लेनदार (creditor) मुख्य ऋणी के खिलाफ उपाय समाप्त करने के लिए बाध्य नहीं है और वह सीधे गारंटर से वसूली कर सकता है। तदनुसार, न्यायालय ने याचिकाकर्ता की आपत्तियों को खारिज कर दिया।

निर्णय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि प्रतिभू की देनदारी तत्काल होती है। प्रतिभू के पास यह निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है कि लेनदार को पहले कर्जदार के खिलाफ ही कार्यवाही करनी चाहिए।

“There can be no dispute to the settled legal proposition of law that in view of the provisions of Section 128 of the Indian Contract Act, 1872 (hereinafter called the 'Contract Act'), the liability of the guarantor/surety is co-extensive with that of the debtor.”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2017

स्रोत HPHC010151262017

05 Judgment Debtor No. 5 v. Decree Holder

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2017-06-22 • CRP/2377/2017

यह मामला Execution Petition के दौरान Judgment Debtor No. 5 द्वारा दायर की गई Civil Revision Petition से संबंधित है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि Decree Holder को पहले मुख्य ऋणी (principal borrower) के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए थी, न कि सीधे उनके खिलाफ। न्यायालय ने Central Bank of India v. C.L.Vimla और Section 128 of the Indian Contract Act, 1872 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि एक गारंटर या Surety की देयता (liability) मुख्य ऋणी के साथ co-extensive होती है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि Decree

Holder के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी Judgment Debtor के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है, और इसके लिए उसे पहले मुख्य ऋणी को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, याचिका खारिज कर दी गई।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लेनदार की यह पूर्ण इच्छा है कि वह ऋण राशि की प्राप्ति के लिए मूल कर्जदार के खिलाफ पहले कार्यवाही करे या प्रतिभू के खिलाफ।

“Therefore, the creditor has a right to obtain a decree against the surety and the principal debtor. The surety has no right to restrain execution of the decree against him until the creditor has exhausted his remedy against the principal debtor for the reason that it is the business of the surety/ guarantor to see whether the principal debtor has paid or not.”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2017

स्रोत HBHC010183362017

06 H.P. State Cooperative Bank Ltd. v. Ram Gopal Sharma

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2011-09-16 • CWP/821/2006

यह मामला H.P. State Cooperative Bank Ltd. द्वारा ऋण अदायगी से संबंधित एक surety (गारंटर) की देयता के बारे में है। प्रतिवादी ने ऋण के लिए गारंटी दी थी, लेकिन बाद में बैंक से अपना नाम हटाने का अनुरोध किया। जब बैंक ने ऋण वसूली के लिए मध्यस्थता (arbitration) शुरू की, तो अपीलीय और पुनरीक्षण अधिकारियों ने प्रतिवादी को यह कहकर राहत दे दी कि बैंक ने उसकी मांग पर कार्रवाई नहीं की और अन्य सहयोगियों को शामिल नहीं किया। उच्च न्यायालय ने इन आदेशों को रद्द करते हुए कहा कि Indian Contract Act, 1872 की Section 128 के तहत एक surety की देयता principal debtor के साथ co-extensive होती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल अनुरोध करने से गारंटी रद्द नहीं होती और Section 137 व 138 के अनुसार, बैंक द्वारा अन्य उपायों का उपयोग न करने से surety अपनी देयता से मुक्त नहीं होता है।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गारंटी संविदा को एकतरफा समाप्त करने का कोई कानूनी आधार नहीं है, और बैंक द्वारा मुख्य कर्जदार पर मुकदमा न चलाने की केवल सहनशीलता गारंटर को दायित्व से मुक्त नहीं करती है।

“According to Section 128 of the Contract Act, liability of the surety is co-extensive with that of the principal debtor, unless the contract, otherwise, provides.”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2011

स्रोत HPHC010036082006

07 BRS Ventures Investments Ltd. v. SREI Infrastructure Finance Ltd.

SUPREME COURT OF INDIA • 2024-07-23 • 2024 INSC 548

यह मामला मुख्य रूप से इस प्रश्न पर आधारित था कि क्या एक corporate guarantor के लिए अनुमोदित resolution plan के तहत किए गए भुगतान से principal borrower (corporate debtor) की देनदारी समाप्त हो जाती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि surety और principal debtor की देनदारी co-extensive होती है, इसलिए guarantor के खिलाफ resolution plan के तहत हुआ भुगतान principal borrower की शेष ऋण चुकाने की जिम्मेदारी को खत्म नहीं करता है। न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि IBC के तहत वित्तीय लेनदार (financial creditor) एक साथ या अलग-अलग कार्यवाही कर सकते हैं। इसके अलावा, न्यायालय ने माना कि holding company अपनी subsidiary की संपत्ति की स्वामी नहीं होती, और subsidiary की संपत्ति को holding company के resolution plan में शामिल नहीं किया जा सकता।

निर्णय उच्चतम न्यायालय ने माना कि धारा 140 के तहत प्रत्यासन का अधिकार पाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिभू ने उस संपूर्ण राशि का भुगतान किया हो जिसके लिए वह उत्तरदायी था। आंशिक भुगतान पर, न्यायसंगत अधिकार केवल भुगतान की गई सीमा तक ही सीमित रहेगा।

“Under Section 128 of the Contract Act, 1872, the liability of the surety is coextensive with that of the principal debtor unless it is otherwise provided by the contract.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2024

स्रोत ESCR010005472024

08 Semalaiappan v. The Chief Manager & Authorised Officer, Andhra Bank

MADRAS HIGH COURT • 2020-03-17 • WP/22701/2019

यह मामला ऋण चुकौती में चूक के बाद बैंकों द्वारा गारंटर की संपत्तियों के खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू करने से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि बैंकों को पहले कंपनी की प्राथमिक प्रतिभूतियों (primary securities) को बेचना चाहिए और उसके बाद ही गारंटर की व्यक्तिगत संपत्तियों को निशाना बनाना चाहिए। न्यायालय ने Section 128 of the Indian Contract Act का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि ऋण लेने वाले और गारंटर की देनदारी co-extensive, संयुक्त और अलग-अलग होती है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि बैंकों के पास यह तय करने का पूरा अधिकार है कि वे वसूली के लिए कौन सी प्रतिभूतियों का उपयोग करें, और गारंटर बैंकों को यह निर्देश नहीं दे सकता कि वे पहले किस संपत्ति की नीलामी करें। तदनुसार, याचिका खारिज कर दी गई।

निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि ऋणदाता को यह चुनने का विशेषाधिकार है कि वह अपनी वसूली के लिए किस संपत्ति को पहले बेचना चाहता है और गारंटर इस संबंध में निर्देश नहीं दे सकता।

“Under Section 128 of the Indian Contract Act, the liabilities of the borrowers and the guarantors are co-extensive in nature. Therefore, the petitioner and the borrower are jointly and severally liable to pay the outstanding loan of the company.”

MADRAS HIGH COURT • 2020

स्रोत HCMA011313812019

09 Union of India v. Bhagwati Cottons Ltd.

BOMBAY HIGH COURT • 2008-02-22 • SS/2959/1999

यह मामला निर्यात दायित्वों के उल्लंघन से संबंधित है। Defendant No.1 और उसकी सहयोगी कंपनी ने कपास निर्यात का कोटा प्राप्त किया था और इसके लिए Defendant No.2 (बैंक) से Bank Guarantee प्रदान की थी। निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्यात करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में विफल रहने पर, सरकार ने Bank Guarantee को लागू करने का प्रयास किया। बैंक ने यह तर्क दिया कि Guarantee की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन सरकार ने Indian Contract Act की Section 28 में हुए संशोधनों का हवाला देते हुए भुगतान की मांग की। न्यायालय ने इस कानूनी स्थिति पर विचार किया कि क्या बैंक अपनी गारंटियों के तहत देनदारियों से मुक्त हो गया था और तदनुसार मामले का निर्णय लिया।

निर्णय न्यायालय ने धारा 128 का विश्लेषण करते हुए माना कि प्रतिभू की देनदारी संविदात्मक व्यवस्था के माध्यम से समय या राशि के संदर्भ में सीमित की जा सकती है। यदि बैंक गारंटी की एक निश्चित अवधि निर्धारित थी, तो लेनदार उस अवधि के बाद दावा नहीं कर सकता।

“Section 128 of the Indian Contract Act, 1872 postulates that the liability of the surety is co-extensive with the principal debtor unless it is otherwise provided by the contract.”

BOMBAY HIGH COURT • 2008

स्रोत HCBM020022601999

10 Ghanshyam Pd. Srivastawa v. The State of Bihar

PATNA HIGH COURT • 2012-10-09 • CR. MISC./1050/2011

यह मामला एक बैंक द्वारा लोन डिफॉल्ट के कारण गारंटर की LIC पॉलिसी को ज़ब्त करने और बकाया राशि वसूलने के संबंध में है। शिकायतकर्ता, जो कि गारंटर था, ने आरोप लगाया कि बैंक ने उधारकर्ता (principal debtor) से वसूली करने के बजाय उसकी पॉलिसी को एडजस्ट कर लिया। न्यायालय ने Section 128 of the Indian Contract Act, 1872 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि एक गारंटर और उधारकर्ता की देनदारी (liability) 'co-extensive' होती है। बैंक के पास यह विकल्प है कि वह राशि किसी से भी वसूल सकता है। न्यायालय ने यह माना कि बैंक ने कोई अवैध कार्य नहीं किया, अतः निचली अदालत द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध लिया गया संज्ञान (cognizance) रद्द कर दिया गया।

निर्णय पटना उच्च न्यायालय ने माना कि संविदा अधिनियम की धारा 128 के अनुसार बैंक ऋण अदायगी में चूक होने पर सीधे गारंटर की गिरवी रखी गई पॉलिसी से ऋण समायोजित करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है।

“Section 128 of the Indian Contract Act, 1872 which is as follows: “128. Surety’s liability. - The liability of the surety is co-extensive with that of the principal debtor, unless it is otherwise provided by the contract.””

PATNA HIGH COURT • 2012

स्रोत BRHC010273942011

11 Sita Ram Gupta v. Punjab National Bank and Ors.

SUPREME COURT OF INDIA • 2008-03-10 • 2008 INSC 334

यह मामला एक बैंक गारंटी से संबंधित है जिसमें Appellant ने एक continuing guarantee दी थी। Appellant ने बाद में Indian Contract Act, 1872 की Section 130 का हवाला देते हुए अपनी गारंटी वापस लेने का प्रयास किया और तर्क दिया कि ऋण दिए जाने से पहले ही उन्होंने अपनी गारंटी रद्द कर दी थी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि गारंटी के समझौते में स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि यह एक continuing guarantee है जो सभी भविष्य के लेन-देन पर लागू रहेगी। न्यायालय ने माना कि Appellant ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करके Section 130 के तहत मिलने वाले अपने अधिकार को स्वेच्छा से waived कर दिया था, इसलिए वह बाद में अपनी बात से मुकर नहीं सकते। इस प्रकार, न्यायालय ने बैंक के पक्ष में फैसला सुनाया।

निर्णय उच्चतम न्यायालय ने माना कि जब किसी वैध अनुबंध में गारंटर ने अपनी निरंतर गारंटी की संविदात्मक शर्तों को स्वीकार कर लिया है, तो वह बाद में धारा 130 के प्रावधानों का हवाला देकर दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता।

“The agreement of guarantee clearly provides that the guarantee shall be a continuing guarantee and shall not be considered as cancelled or in any way affected by the fact that at any time, the said accounts may show no liability against the borrower...”

SUPREME COURT OF INDIA • 2008

स्रोत ESCR010010862008

12 Paramjit Singh Ahuja v. Punjab State Industrial Development Corporation Limited

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2006-10-18 • CWP/5397/2003

यह मामला State Financial Corporation Act, 1951 की Section 29 की व्याख्या से संबंधित है। मुख्य प्रश्न यह था कि क्या एक Financial Corporation किसी ऋण के चूक होने पर, औद्योगिक इकाई के अलावा, उस ऋण के surety (गारंटर) की संपत्ति का कब्जा ले सकती है या उसे बेच सकती है, यदि वह संपत्ति ऋण के बदले गिरवी रखी गई थी। न्यायालय के समक्ष यह विवाद था कि क्या Section 29 के तहत अधिकार केवल 'industrial concern' तक सीमित हैं या इनमें surety भी शामिल है। उच्च न्यायालय ने इस विवादित प्रश्न को सुलझाने के लिए एक Full Bench का गठन किया ताकि यह तय किया जा सके कि क्या Corporation द्वारा surety की संपत्ति के खिलाफ कार्यवाही करना कानूनन मान्य है।

निर्णय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना कि मूल ऋणी का दायित्व और प्रतिभू का सह-विस्तृत दायित्व दो अलग और स्वतंत्र दायित्व हैं, भले ही वे एक ही सौदे से उत्पन्न हुए हों।

“Section 126 of the Indian Contract Act, 1872 (in short the Contract Act) states that a contract of guarantee is a contract, to perform the promise, or discharge the liability, of a third person in case of his default.”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2006

स्रोत PHHC010053982003

13 Prashant Shashi Ruia v. State Bank of India

HIGH COURT OF GUJARAT • 2021-12-16 • SCA/11985/2019

यह मामला Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 के तहत Essar Steel India Limited की समाधान प्रक्रिया (CIRP) से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि Debt Recovery Tribunal (DRT) के समक्ष चल रही कार्यवाही को तब तक रोक दिया जाए जब तक कि ArcelorMittal India Private Limited की 'Resolution Plan' अंतिम रूप से अनुमोदित न हो जाए। याचिकाकर्ताओं ने व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर बैंक द्वारा की जा रही कानूनी कार्यवाही को चुनौती दी थी। गुजरात उच्च न्यायालय ने माना कि Insolvency and Bankruptcy Code के प्रावधानों के अंतर्गत चल रही कार्यवाही और व्यक्तिगत गारंटी के लिए अन्य मंचों पर चल रही कानूनी प्रक्रियाएं अलग हैं। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, यह स्पष्ट करते हुए कि resolution plan को मंजूरी मिलने से कर्जदाताओं को व्यक्तिगत गारंटियों के खिलाफ वसूली करने से नहीं रोका जा सकता है।

निर्णय गुजरात उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी समाधान योजना की मंजूरी से व्यक्तिगत गारंटर अपनी देयता से मुक्त नहीं होता है। संविदा अधिनियम के तहत सह-विस्तृत देनदारी स्वतंत्र रूप से लागू रहती है।

“The other question which parties had urged before this court was that the impugned notification, by applying the Code to personal guarantors only, takes away the protection afforded by law; reference was made to Sections 128, 133 and 140 of the Contract Act...”

HIGH COURT OF GUJARAT • 2021

स्रोत GJHC240426782019

14 State Bank of India v. Mula Sahakari Sakhar Karkhana Ltd.

SUPREME COURT OF INDIA • 2006-07-06 • 2006 INSC 405

यह मामला इस कानूनी प्रश्न पर केंद्रित है कि क्या बैंक द्वारा निष्पादित एक दस्तावेज़ 'Bank Guarantee' है या 'contract of indemnity'। न्यायालय ने निर्धारित किया कि दस्तावेज़ की व्याख्या मुख्य रूप से उसमें निहित शर्तों के आधार पर की जानी चाहिए। चूंकि विवादित दस्तावेज़ में 'unconditional' या 'absolute' जैसे शब्द नहीं थे और यह स्पष्ट रूप से केवल नुकसान, दावों और लागतों की क्षतिपूर्ति (indemnity) के बारे में था, न्यायालय ने इसे 'contract of indemnity' माना। सुप्रीम कोर्ट ने High Court के इस निर्णय को रद्द कर दिया कि वह एक 'Bank Guarantee' थी, और यह स्पष्ट किया कि Sections 91 and 92 of the Indian Evidence Act के उल्लंघन में मौखिक साक्ष्य के आधार पर दस्तावेज़ की शर्तों को बदलना गलत है।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक बार जब प्रतिभू बॉन्ड की लिखित शर्तें स्पष्ट हो जाती हैं, तो असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर पक्षों को अपनी जिम्मेदारियों से हटने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

“As per Sections 91 and 92 of the Indian Evidence Act, 1872 no evidence dehors the terms of the agreement, whether documentary or oral, can be led by the parties to get out of the express terms thereof. Whether the express terms of the guarantee bond give rise to the contract of guarantee sought to be enforced will be the only limited enquiry...”

SUPREME COURT OF INDIA • 2006

स्रोत ESCR010004762006

15 D. Dhanushkoti v. Sundaram Finance Ltd.

MADRAS HIGH COURT • 2010-02-22 • OP/867/2007

यह मामला एक hire purchase agreement से संबंधित है जिसमें याचिकाकर्ता (petitioner) ने guarantor के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी। मुख्य विवाद तब उत्पन्न हुआ जब ऋणी कंपनी (borrower) किस्तों का भुगतान करने में विफल रही और मध्यस्थ (Arbitrator) ने guarantor को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि creditor ने सुरक्षा (machinery) को खो दिया है, जिससे Sections 139, 140 और 141 of the Indian Contract Act के तहत उनकी देयता (liability) समाप्त हो गई है। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि जिस मशीनरी के लिए ऋण लिया गया था, वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। न्यायालय ने सभी तर्कों पर विचार करने के बाद, याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित गारंटी समझौते को वैध माना और Arbitrator के निर्णय को बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी।

निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 141 के अंतर्गत प्रतिभू को केवल तभी उन्मुक्त किया जा सकता है जब प्रतिभूति की हानि लेनदार की सक्रिय त्रुटि या जानबूझकर की गई उपेक्षा के कारण हुई हो।

“Section 141 - Surety's right to benefit of creditors securities: A surety is entitled to the benefit of every security which the creditor has against the principal debtor... and, if the creditor loses, or, without the consent of the surety, parts with such security, the surety is discharged to the extent of the value of the security.”

MADRAS HIGH COURT • 2010

स्रोत HCMA010957252007

16 Amrit Lal Goverdhan Lalan v. State Bank of Travancore

SUPREME COURT OF INDIA • 1968-04-11 • 1968 INSC 100

यह मामला एक बैंक गारंटी से संबंधित है जहाँ एक गारंटर ने तर्क दिया था कि उसे भारतीय अनुबंध अधिनियम (Indian Contract Act) की धाराओं के तहत दायित्व से मुक्त किया जाना चाहिए। न्यायालय ने निर्धारित किया कि बैंक के आंतरिक रिकॉर्ड में क्रेडिट सीमा में बदलाव एक वैध अनुबंध परिवर्तन नहीं था, इसलिए Section 133 लागू नहीं होता। इसके अलावा, देनदार को कमी पूरी करने के लिए समय देना Section 135 के तहत 'समय देने' का वादा नहीं है। हालांकि, न्यायालय ने माना कि बैंक की लापरवाही के कारण गिरवी रखे गए माल (pledged goods) की कमी के लिए Section 141 के तहत बैंक जिम्मेदार है। परिणामस्वरूप, गारंटर अपने दायित्व से उस कमी की सीमा तक मुक्त हो गया जितना माल बैंक की लापरवाही से खोया था।

निर्णय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रतिभू द्वारा भुगतान किए जाने पर वह स्वतः ही लेनदार के स्थान पर प्रतिस्थापित हो जाता है और लेनदार के सभी सुरक्षा अधिकार उसे हस्तांतरित हो जाते हैं। यदि लेनदार लापरवाही से उन संपत्तियों को खोता है, तो प्रतिभू उस सीमा तक मुक्त हो जाएगा।

“Under s. 140 of the Contract Act the surety is, on payment of the amount due by the principal debtor, entitled to be put in the same position in which the creditor stood in relation to the principal debtor. Under s. 141 of the Act the surety has a right to the securities held by the creditor...”

SUPREME COURT OF INDIA • 1968

स्रोत ESCR010002481968

17 M/s. SSA Constructions v. Andhra Bank

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2024-12-12 • WP/30158/2015

यह मामला Debt Recovery Tribunal (DRT) के उस आदेश को चुनौती देने से संबंधित है जिसमें याचिकाकर्ताओं की co-sureties (Respondent Nos. 2 और 3) की संपत्तियों को वसूली की कार्यवाही से बाहर रखने का निर्णय लिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ये संपत्तियां ऋण सुरक्षा का हिस्सा थीं और बैंक ने इन्हें बिना उचित कारण के छोड़ दिया है। न्यायालय ने यह विचार किया कि क्या DRT के पास अपने स्वयं के आदेश को वापस लेने (recall) का क्षेत्राधिकार था और क्या co-surety की संपत्तियों को ऋण वसूली से बाहर करना कानूनी रूप से वैध था। न्यायालय ने माना कि ऋणदाता बैंक ने अपनी विवेकपूर्ण शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋण शर्तों के अनुसार संपत्तियां जारी की थीं, और याचिकाकर्ता अब उन पर दावा नहीं कर सकते।

निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 138 के तहत एक सह-प्रतिभू को लेनदार द्वारा मुक्त करने से अन्य सह-प्रतिभू अपने मूल दायित्व से मुक्त नहीं होते हैं।

“Section 138 of the Indian Contract Act extends the principle in Section 44: 138. Release of one co-surety does not discharge others—If there are co-sureties, releasing one by the creditor does not discharge the others, nor does it free the released surety from responsibility to the other sureties.”

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2024

स्रोत KAHC010035302015

18 Not Provided v. Not Provided

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2023-09-23 • CRP/857/2016

यह मामला एक Execution Petition (E.P.) से संबंधित है जहाँ Petitioner ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें Judgment Debtors (जो कि Guarantors थे) को कुल बकाया राशि के बजाय केवल 1/4 हिस्से का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। Petitioner ने तर्क दिया कि Section 128 of the Indian Contract Act के तहत Guarantor की जिम्मेदारी Principal Debtor के साथ co-extensive होती है। न्यायालय ने Central Bank of India v. C.L.Vimla के फैसले का हवाला देते हुए माना कि decree संयुक्त और अलग-अलग (joint and several) है। अतः, निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया गया और मामले को पुनः विचार के लिए वापस भेज दिया गया ताकि Guarantors को पूरी राशि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके।

निर्णय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि डिक्री संयुक्त और पृथक होने के कारण लेनदार किसी भी गारंटर के विरुद्ध पूरी डिक्री राशि लागू कर सकता है; गारंटर दायित्व के विभाजन की मांग नहीं कर सकते।

“Therefore, the creditor i.e., the Decree Holder has a right to obtain a decree against the surety and the principal debtor. The surety has no right to restrain execution of the decree against him until the creditor has exhausted his remedy against the principal debtor...”

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2023

स्रोत APHC010285592016

19 Sunder Singh v. The H.P. State Cooperative Bank Ltd.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2021-08-03 • CWP/3777/2021

यह मामला एक guarantor की liability से संबंधित है। petitioner ने अपने बेटे के लिए बैंक loan की गारंटी ली थी। loan के default होने पर, बैंक ने arbitration के जरिए recovery शुरू की। petitioner ने तर्क दिया कि उसे पूरी बकाया राशि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए। न्यायालय ने Section 128 of the Indian Contract Act का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि एक guarantor की liability principal debtor के साथ co-extensive होती है। बैंक यह चुनने के लिए स्वतंत्र है कि वह किसके खिलाफ कार्यवाही करे और उसे पहले principal debtor के खिलाफ अपने उपाय समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर न्यायालय ने petitioner की याचिका को खारिज कर दिया और arbitration award को बरकरार रखा।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लेनदार के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह प्रतिभू पर मुकदमा करने से पहले मूल ऋणी के खिलाफ कानूनी उपाय समाप्त करे।

“Section 128 of the Indian Contract Act itself provides that “the liability of the surety is co-extensive with that of the principal debtor, unless it is otherwise provided by the contract.”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2021

स्रोत HPHC010174842021

20 Ram Kishun v. State of U.P.

SUPREME COURT OF INDIA • 2012-05-24 • 2012 INSC 247

यह मामला ऋण वसूली के लिए नीलामी प्रक्रिया में बरती गई अनियमितताओं से संबंधित था। याचिकाकर्ताओं के पिता ने एक ऋण के लिए गारंटर के रूप में कार्य किया था, जिसे चुकाने में विफलता के बाद वसूली कार्यवाही शुरू की गई। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनकी संपत्ति को बाजार मूल्य से बहुत कम कीमत पर नीलाम किया गया और ऋण की वसूली के लिए पूरी संपत्ति के बजाय केवल एक हिस्से को बेचना पर्याप्त था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Section 128 of the Indian Contract Act के तहत गारंटर का दायित्व मुख्य ऋणी के समान होता है। हालांकि न्यायालय ने माना कि सार्वजनिक नीलामी में निष्पक्ष मूल्यांकन और reserve price का निर्धारण अनिवार्य है, लेकिन इस मामले में किसी मौलिक प्रक्रियात्मक त्रुटि का अभाव पाया गया और नीलामी बिक्री को रद्द करने से इनकार कर दिया गया।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रतिभू का यह कर्तव्य है कि वह स्वयं जांच करे कि मूल देनदार ने भुगतान किया है या नहीं; वह डिक्री निष्पादन के समय लेनदार के अधिकारों को सीमित नहीं कर सकता।

“In view of the provisions of Section 128 of the Indian Contract Act, 1872, the liability of the guarantor/surety is co-extensive with that of the debtor. Therefore, the creditor has a right to obtain a decree against the surety and the principal debtor.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2012

स्रोत ESCR010003882012

21 M. S. Anirudhan v. The Thomco's Bank Ltd.

SUPREME COURT OF INDIA • 1962-09-14 • 1962 INSC 260

यह मामला एक guarantee के दस्तावेज़ में किए गए बदलाव से संबंधित है। Appellant ने मुख्य कर्जदार के लिए एक overdraft सुविधा हेतु guarantee दी थी। बैंक ने ₹25,000 की मूल guarantee राशि को अस्वीकार कर दिया और इसे घटाकर ₹20,000 करने को कहा। मुख्य कर्जदार ने

appellant की सहमति के बिना दस्तावेज़ में बदलाव कर इसे बैंक को सौंप दिया। बाद में, जब बैंक ने भुगतान मांगा, तो appellant ने तर्क दिया कि दस्तावेज़ में सामग्री परिवर्तन (material alteration) के कारण उसका दायित्व समाप्त हो गया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने बहुमत निर्णय में माना कि appellant उत्तरदायी है। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मुख्य कर्जदार, appellant का agent बनकर कार्य कर रहा था, और चूंकि बदलाव बैंक के पास पहुँचने से पहले ही कर दिया गया था, इसलिए appellant अपने इस कृत्य के लिए स्वयं जिम्मेदार है और बदलाव के आधार पर दायित्व से नहीं बच सकता।

निर्णय उच्चतम न्यायालय ने माना कि मामूली बदलाव जो प्रतिभू के प्रतिकूल न हों और उसके फायदे के लिए किए गए हों, वे प्रतिभू को उसकी संविदात्मक देयता से मुक्त नहीं करते हैं।

“Both the arguments rest upon the alteration of the contract into which Anirudhan wished to enter. A surety is considered a 'favoured debtor' and his liability is strictissimi juris.”

SUPREME COURT OF INDIA • 1962

स्रोत ESCR010001841963

22 Industrial Finance Corporation of India Ltd. v. The Cannanore Spinning and Weaving Mills Ltd.

SUPREME COURT OF INDIA • 2002-04-12 • 2002 INSC 194

यह मामला Industrial Finance Corporation of India Ltd. (creditor) और The Cannanore Spinning and Weaving Mills Ltd. (principal debtor) तथा उनके sureties के बीच ऋण चुकौती और guarantee से संबंधित है। जब प्रमुख debtor ने ऋण नहीं चुकाया और कंपनी के कुछ हिस्से का nationalisation हो गया, तो sureties ने यह तर्क दिया कि उनकी liability समाप्त हो गई है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि Contract of Guarantee एक स्वतंत्र अनुबंध है और यह principal debtor के nationalisation या impossibility of performance (Section 56 of the Indian Contract Act) के आधार पर स्वतः समाप्त नहीं होता। न्यायालय ने निर्णय दिया कि surety की liability 'strict' होती, और जब तक creditor स्वयं किसी स्वैच्छिक कार्य (Section 141) के माध्यम से सुरक्षा खो न दे, तब तक surety अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होता।

निर्णय न्यायालय ने निर्णय दिया कि व्यक्तिगत गारंटी का अनुबंध एक स्वतंत्र संविदा है। जब तक लेनदार किसी स्वैच्छिक कृत्य से प्रतिभूति को नुकसान नहीं पहुंचाता, तब तक कानून के संचालन से मूल देनदार की मुक्ति पर भी गारंटर उत्तरदायी रहेगा।

“Significantly, it may be stated that the liability of the guarantor cannot but be stated to the a strict liability and even if the principal debtor is discharged from his liability unless such discharge is through the act of the creditor without consent of the surety/ guarantor, the creditor's right of action against the surety is preserved.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2002

स्रोत ESCR010000992002

23 K.S. Sivaprasad v. Assistant Registrar of Co-operative Societies

HIGH COURT OF KERALA • 2015-10-14 • RP/856/2015

यह मामला पुनरावलोकन याचिका (review petition) से संबंधित है, जहाँ याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि Section 37 of the Kerala Co-operative Societies Act, Section 128 of the Contract Act के तहत गारंटीकर्ताओं की संयुक्त और पृथक उत्तरदायित्व (joint and several liability) को सीमित करती है। याचिकाकर्ताओं का मानना था कि बैंक को पहले मुख्य ऋणी (principal borrower) से वसूली करनी चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Section 37 केवल एक सक्षम प्रावधान (enabling provision) है, जिसका उद्देश्य बैंक के लिए वसूली प्रक्रिया

को सरल बनाना है। यह बैंक के अधिकार को नहीं छीनता कि वह अपनी पसंद के अनुसार मुख्य ऋणी या गारंटीकर्ता, या दोनों से वसूली करे। अतः न्यायालय ने अपने पिछले निर्णय को बरकरार रखा और याचिका खारिज कर दी।

निर्णय केरल उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि बैंक सीधे गारंटर्स से वसूली की प्रक्रिया चुनता है, तो भी गारंटर्स के पास धारा 140 और 141 के तहत प्रत्यासन का न्यायसंगत उपचार पूरी तरह उपलब्ध रहता है।

“On the converse, assuming that the Bank has continued with the recoveries from the guarantors, without its ever bothering to touch the principal borrower, it is for the guarantors, having repaid the loan, to take recourse to the remedy of subrogation or restitution in terms of equitable remedies incorporated in the provisions such as Sections 140 and 141...”

HIGH COURT OF KERALA • 2015

स्रोत KLHC010397112015

24 Tom Thomas v. State Bank of India

HIGH COURT OF KERALA • 2016-11-30 • WA/895/2016

यह मामला SARFAESI Act के तहत ऋण वसूली से संबंधित है। अपीलकर्ताओं ने, जो कि उधारकर्ता कंपनी के पूर्व निदेशक और ऋण के गारंटर थे, बैंक को पहले कंपनी की अन्य संपत्तियों की बिक्री से ऋण वसूलने और केवल उसके बाद ही अपनी आवासीय संपत्ति को बेचने का निर्देश देने की प्रार्थना की थी। एकल न्यायाधीश ने पहले इस राहत को स्वीकार किया था, लेकिन बैंक द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका (Review Petition) में, बैंक ने बताया कि उधारकर्ताओं द्वारा विभिन्न कानूनी बाधाएं उत्पन्न करने के कारण अन्य संपत्तियों की बिक्री संभव नहीं हो पाई है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि कोई भी ऋणी बैंक को ऋण वसूली की प्रक्रिया तय करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने बैंक के पक्ष में निर्णय देते हुए एकल न्यायाधीश के पुनर्विचार याचिका को स्वीकार करने के आदेश को सही ठहराया।

निर्णय केरल उच्च न्यायालय ने माना कि गारंटी संविदा का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा यदि लेनदार को प्रतिभू के खिलाफ कार्यवाही करने से पहले अपनी अन्य प्रतिभूतियों को समाप्त करने के लिए मजबूर किया जाए।

“The very object of securing guarantee and security would be defeated if the creditor is asked to postpone his remedies against the surety. To quote the words of the Apex Court in Bank of Bihar v. Damodar Prasad (supra): “The security will become useless if his rights against the surety can be so easily cut down.””

HIGH COURT OF KERALA • 2016

स्रोत KLHC010457972016

25 Raja Bahadur Dhanraj Girji v. Raja P. Parthasarathy Rayanimvaru

SUPREME COURT OF INDIA • 1962-09-04 • 1962 INSC 251

यह मामला न्यायालय के समक्ष दिए गए surety bond के दायित्व से संबंधित है। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यद्यपि Section 135 of the Indian Contract Act सीधे तौर पर न्यायालय के पक्ष में निष्पादित surety bond पर लागू नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे निहित न्यायसंगत सिद्धांत (equitable principles) उस पर लागू होते हैं। यदि surety bond की शर्तें यह दर्शाती हैं कि दायित्व केवल न्यायालय के निर्णय पर आधारित है और पक्षकारों के बीच हुए किसी समझौते (compromise decree) पर नहीं, तो ऐसा समझौता surety को उसके दायित्व से मुक्त कर देता है। इस मामले में, चूंकि समझौते में जटिल शर्तें और समय-विस्तार शामिल थे, इसलिए न्यायालय ने माना कि surety अपने दायित्व से मुक्त हो गए थे।

निर्णय न्यायालय ने माना कि यद्यपि संविदा अधिनियम की धारा 135 का सीधा अनुप्रयोग न्यायालयी बॉन्ड पर नहीं होता, परंतु इसके पीछे निहित न्यायसंगत सिद्धांत के अनुसार यदि लेनदार बिना प्रतिभू की सहमति के ऋणी को समय विस्तार देता है, तो प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है।

“Such a bond is given to the court and not to the creditor and it is in the discretion of the court to enforce the bond or not. Therefore, there cannot be any doubt that in terms, the provisions of s. 135 cannot apply to a court bond. It is also clear that the equitable principles underlying the provisions of s. 135 apply to such a bond.”

SUPREME COURT OF INDIA • 1962

स्रोत ESCR010001431963

अस्वीकरण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।